Philosophy
?/5/20
B.A III य.

1.

विवाह के प्रयोजन या उद्देश्य

विवाह का प्रथम उद्देश्य जैविक (Biological) उद्देश्य है जिसके अनुसार मनुष्य में विद्यमान लिंग प्रवृत्तियों की तृप्ति होती। कुछ फ्रायड और अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लिंग प्रवृत्ति को दबा देने से कई प्रकार की मानसिक विकृतियाँ (बिमारी) तक उत्पन्न हो जाती है अतः यौन तृप्ति (Sex satisfaction) अति आवश्यक है स्वाभाविक है जिसके लिए एक मात्र साधन विवाह ही है हालांकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यौन तृप्ति के अतिरिक्त अन्य साधनों का लोग सहारा लेने लगे हैं किन्तु अतिरिक्त साधन के द्वारा संतुलित या नियमित यौन तृप्ति संभव भी नहीं है और नहीं मानव जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करना कठिन सा हो जाता है, कहावत भी है कि जलने से अच्छा है विवाह कर लेना (Better to marry than to Burn)

विवाह का दूसरा प्रयोजन है कि विवाह के द्वारा यौन संबंध को संतुलित रखा जाता है। इसके अनुसार हर स्त्री-पुरुष किसी खास ही स्त्री या पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं अगर इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाए तो अनेक सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा मानव और पशु में कोई भेद नहीं रह पायेगा अगर इस तरह का सामाजिक प्रतिबंध लगाया जाये तो पुरुषों के स्त्रियों को पाने की [illegible] होने के फलस्वरूप विवाद फसाद हो उपर्युक्त सामाजिक प्रतिबंध के अभा

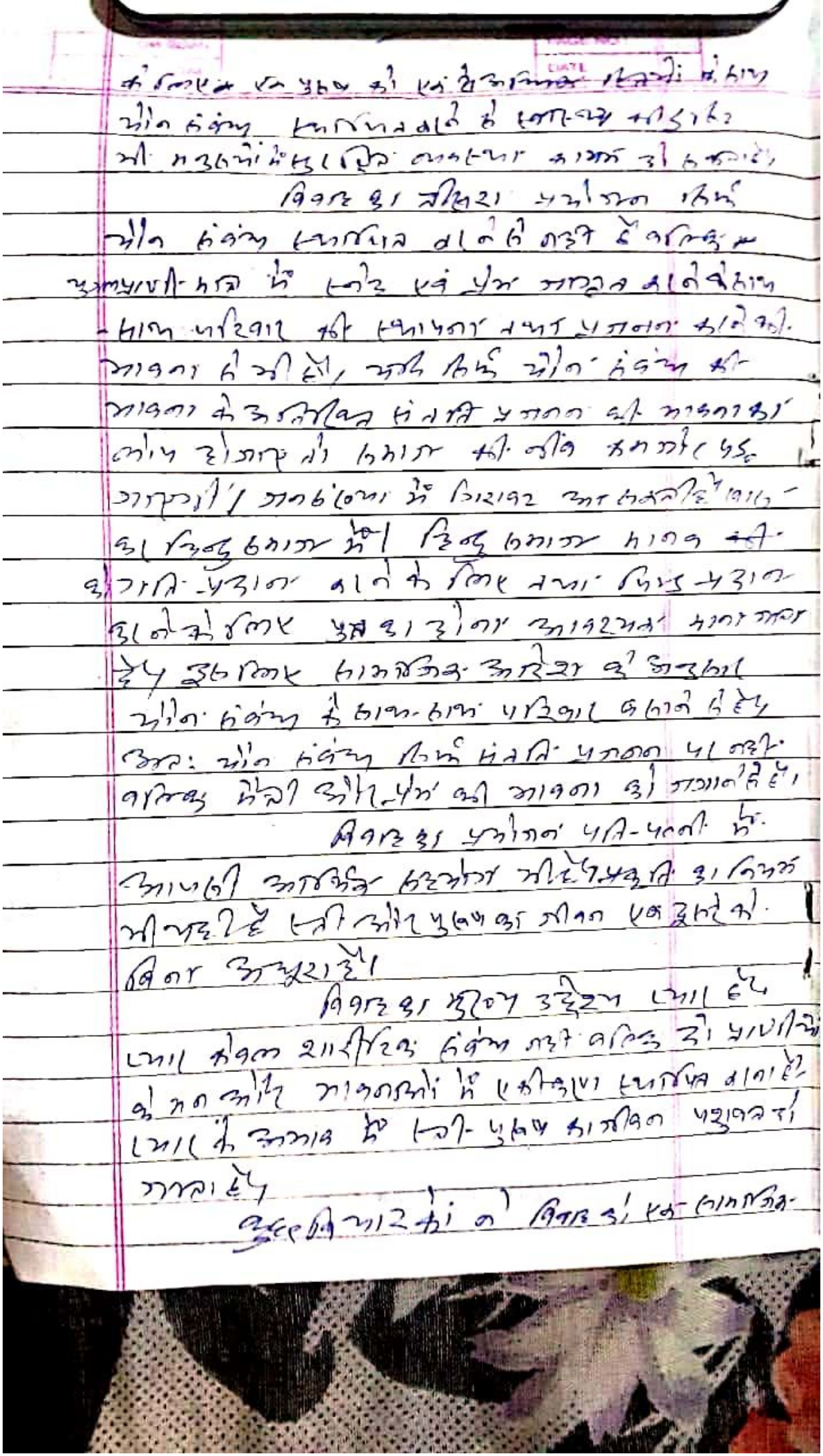

के लिए एक पुरुष को एक ही ~~स्त्री~~ स्त्रियों से ही संबंध
यौन संबंध स्थापित करने के स्वतन्त्र अधिकार
की मान्यताओं में धार्मिक व्यवहार कार्य की सफलता,

विवाह का तीसरा प्रयोजन रति

यौन संबंध स्थापित करने से नहीं है व्यक्ति
सुखप्राप्ति मात्र में सन्तोष एवं धर्म सम्पादन करने के साथ
-साथ परिवार की स्थापना तथा प्रजनन करने की
भावना से भी है, अतः रति यौन संबंध की
भावना के अतिरिक्त संतति प्रजनन की भावनाओं
[illegible]
भावनाओं में विवाह का महत्व है।
का निश्चय समाज में। हिन्दू समाज मानव की
सन्तति प्रजनन करने के लिए तथा पितृ ऋण
चुकाने के लिए पुत्र का होना आवश्यक मानता है
हेतु इसलिए सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप
यौन संबंध के साथ-साथ परिवार बनाने हेतु
अतः यौन संबंध रति संतति प्रजनन पर नहीं,
व्यक्तित्व में ही और धर्म की भावना को मानते हैं।

विवाह का प्रयोजन पति-पत्नी की
आपसी आत्मिक संतुष्टि और प्रकृति का विकास
भी होता है स्त्री और पुरुष का जीवन एक दूसरे के
बिना अधूरा है।

विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है
क्या केवल शारीरिक संबंध तथा व्यक्ति की प्राप्ति
के मन और भावनाओं में एकीकरण स्थापित करना है
क्या के अभाव में स्त्री-पुरुष का जीवन अधूरा
रहता है।

विद्वान विचारकों ने विवाह को एक सामाजिक

ਸਮਝੌਤਾ (Special Contact) ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ [illegible]
[illegible] ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ (Sacrament) ਮੰਨਿਆ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ਹੈ। ਭਾਵ: ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ [illegible]
[illegible]
[illegible]

ਵਿਆਹ ਦੇ [illegible] (Forms of Marriage) [illegible] class ਤੋਂ